

आदेश की क्रम
नं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख
सहित

11.10.19

न्यायालय, अपर समाहर्ता-सह-आर्बिट्रेटर, धनबाद
आर्बिट्रेशन केश नं०-31/2019

बासुदेव प्रसाद चौरसीया एवं अन्य -बनाम्-

भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ
प्रधिकरण एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में गोविन्दपुर अंचल अन्तर्गत मौजा-दामकड़ाबरवा, थाना नं०-94, खाता नं०-58, प्लॉट नं०-117, रकवा-0.0498 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ-2 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा अर्जित भूमि एवं उसपर निर्मित संरचनाओं के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक के आवेदन तथा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि अर्जित भूमि व्यवसायिक एवं आवासीय उपयोग वाला है, जिसके अगल-बगल के रैयतों को अधिकाय दर पर उनके भूमि के उचित मुआवजा का भुगतान किया गया है तथा उक्त भूखण्ड पर निर्मित वास्तविक संरचना के क्षेत्रफल के वास्तविक भुगतेय मूल्यांकन 1,10,00,000.00 रु० के स्थान पर आवेदक को मात्र 87,81,256.00 रु० का ही भुगतान किया गया है। आवेदक द्वारा आवश्यक जाँच के पश्चात् अर्जित भूमि एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उचित मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है तथा उल्लेख किया गया है कि भूमि/संरचना का मुआवजा राशि नियमानुसार गणना कर सही भुगतान किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/NHAI वास्तविकता की जाँच करते हुए निर्धारित दर पर अर्जित भूमि एवं उसपर अवस्थित संरचनाओं का पुर्नमूल्यांकन कर मुआवजा राशि यदि आवेदक को देय हो तो नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रोत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता

-सह-

आर्बिट्रेटर धनबाद।

अपर समाहर्ता

-सह-

आर्बिट्रेटर धनबाद